न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश पंचम, हिलसा (नालन्दा)

जमानत आवेदन सं0– 112/2026

एकंगरसराय थाना काण्ड सं0 – 149/2025

चंदन कुमार ....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार .... विपक्षी

01.04.2026

दिनांक 20.06.2025 से काराधीन अभियुक्त चंदन कुमार की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता दिनेश कुमार विधार्थी द्वारा संचालित किया गया। आवेदक एकंगरसराय थाना काण्ड सं0– 149/2025, दिनांक 19.02.2026 धारा–25(1–B)(a), 26 आर्म्स ऐक्ट से संबंधित है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन करते हैं कि आवेदक निर्दोष है और कोई अपराध नहीं किया है। इसके पूर्व किसी भी प्रकार का अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का 6 आपराधिक इतिहास है। प्रार्थी इस मुकदमा में दिनांक– 20.06.2025 से कारा में है। प्रार्थी को इस मुकदमा में घर पर से दुश्मनों के प्रभाव में आकर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है और ग्रामीणों के बीच किसी भी प्रकार का कोई आपत्तिजनक गिरफ्तारी के समय आवेदक के कब्जे से बरामद नहीं हुआ है और घर से बाहर लाकर पुलिस दुसरे जगह से जप्त कट्टा एवं गोली को दिखाकर जबरन विडियो बनाया गया है। इस मुकदमा में जप्ती सूची का साक्षी भी पुलिस कर्मी ही है। जिससे भी मुदई का आरोप पूरा का पूरा झूठा प्रतीत होता है। प्रार्थी को इस मुकदमा में कारा में जाने के बाद कई अज्ञात प्राथमिकी दर्ज मुकदमा में पुलिस द्वारा झूठा अभियुक्त भी बना दिया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध इस मुकदमा में आरोप पत्र भी समर्पित किया जा चुका है जिससे किसी भी साक्षी को प्रभावित होने या अनुसंधान में बाधा होने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी को न्यायालय से जमानत मिलने के बाद भागने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी न्यायालय की संतुष्टि के लिए उचित जमानतदार देने को तैयार है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक नियमित जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

सुना। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि अखिलेश कुमार झा जो वर्तमान पु.अ.नि. सह थानाध्यक्ष एकंगरसराय में पदस्थापित हैं। दिनांक 19.06.2025 को प्रातः 7:45 बजे कुण्डवापोखर से उत्तर अपना ब्यान टंकित करते हैं कि दिनांक 19.06.2025 को अन्य सशस्त्र बलों के साथ चण्डी थाना काण्ड संख्या– 304/25 के मुख्य आरोपी चन्दन कुमार को सघन वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया। पुलिस ने लोगों से स्वतंत्र गवाह बनने का अनुरोध किया परन्तु कोई तैयार नहीं हुए तत्पश्चात साथ के पदाधिकारी स.अ.नि. प्रमोद शर्मा एवं सुमन्त कुमार को स्वतंत्र गवाह बनाते हुए पकड़ाये व्यक्ति चन्दन कुमार की तलाशी ली गई तो एक लोहे का बना बट का देशी लोडेड कट्टा, बैरल के अंदर पीतल का एक 315 बोर का जिन्दा कारतुस, एक लोहे का बना देशी कट्टा तथा एक पीतल का 315 बोर का जिन्दा कारतुस, सैमसंग कम्पनी

का मोबाईल बरामद हुआ। घटनास्थल पर तलाशी का विडियोग्राफी भी किया गया। अभियुक्तों ने बरामद पिस्तौल और कट्टा, गोली के संबंध में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया।

प्राथमिकी कांड दैनिकी एवं मूल अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि आवेदक के विरूद्ध अवैध आग्नेयास्त्र रखने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज है। अनुसंधान के पश्चात आवेदक के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है और वाद के सभी साक्षीगण पुलिस विभाग के सदस्य हैं जिससे साक्षियों को डराने, धमकाने या प्रभावित करने की संभावना नहीं है। दिनांक 11.11.2025 को आवेदक के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा– 25(1–B)(a), 26 शस्त्र अधिनियम में संज्ञान लिया जा चुका है। आवेदक दिनांक–20.06.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारा अवधि पर विचार करते हुए आवेदक की ओर से दाखिल प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन को **स्वीकृत** करते हुए रू0–10,000/– (दस हजार) तथा इतने ही समान धन राशि के दो प्रतिभुओं के साथ बंधपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि एक जमानतदार उसके निकटतम संबंधी होंगे एवं इस प्रकार का अंडरटेकिंग देंगे की आवेदक इस तरह का अपराध दोबारा नहीं करेंगे। **बंधपत्र आरोप गठन के पश्चात समर्पित किया जायेगा।**

लेखापित

Raghubansh Narayan

I/C अपर सत्र न्यायाधीश पंचम, हिलसा

Date of Order	01.04.2026
Date of Reserving Order	01.04.2026
Uploading date	
Uploaded by	